

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 278/2021

1. शांति देवी पत्नी स्व. दुलीचंद जाति नायक साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. सावित्री देवी पुत्री स्व. दुलीचंद पत्नी मुखराम जाति नायक साकिन चक 2 जीएम राणेर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान ।
3. मैनादेवी पुत्री स्व. दुलीचंद पत्नी देवीलाल जाति नायक साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. दुलीचंद पत्नी इन्द्राज जाति नायक साकिन 5 पी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ।
5. रजा देवी पुत्री स्व. दुलीचंद पत्नी बलराम जाति नायक साकिन कुंआवाली ढाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा ।

प्रतिवादी


**दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
निर्णय**

दिनांक :-.....

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए घरू राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार डिक्री किया जाता है-

वादीया सं. 1 शान्ति देवी को प्राप्त भूमि-तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के प.नं. 18/332 (53) किला नं. 1 ता 5/2 की कुल 1.265 हैक्. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी

वादीया सं. 2 सावित्री देवी को प्राप्त भूमि -तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के प.नं. 18/332 (53) किला नं. 6/1 ता 10 की कुल 1.265 हैक्. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी


सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा


वादीया सं. 3 मेना देवी को प्राप्त भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के प.नं. 18/332 (53) किला नं. 11 ता 15/2 की कुल 1.265 हैक्. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी

वादीया सं.4 रामेश्वरी देवी को प्राप्त भूमि —तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के प. नं. 18/332 (53) किला नं. 16/1 ता 20 की कुल 1.265 हैक्. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी

वादीया सं. 5 राजो देवी को प्राप्त भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 22 पीबीएन के प.नं. 18/332 (53) किला नं. 21 ता 25/2 की कुल 1.265 हैक्. अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी खातेदार काश्तकार घोषित किया किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 8/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कमिश्नर एवं
पदेन सहायक कमिश्नर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा